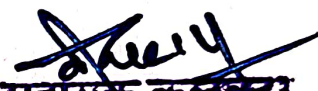


1.07.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।
लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में स्वारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।


सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

